

राजकीय विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाएँ

- राजकीय विद्यालयों में योग्यताधारी व प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य।
- विद्यार्थी एवं विद्यालय के विकास के लिए प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबन्धन समिति संचालित, जिसमें अभिभावक, जन प्रतिनिधि, विद्यार्थी स्वयं तथा शिक्षक की सहभागिता।
- विद्यालय प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी.) की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक महीने में आयोजित।
- कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) एवं विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा।
- कक्षा 8 में ए ग्रेड या इससे ऊपर के मेधावी पात्र विद्यार्थियों को लेपटॉप वितरण।
- कक्षा 7 व 8 के योग्य विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त एवं घुमन्तु, अन्य पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, विशेष पिछड़ी जाति आदि वर्ग के विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति देय।

बालक-बालिकाओं का प्रवेश राजकीय विद्यालयों में कराएँ।
निःशुल्क शिक्षा दिलाएँ, सबको पढ़ाएँ, आगे बढ़ाएँ।।



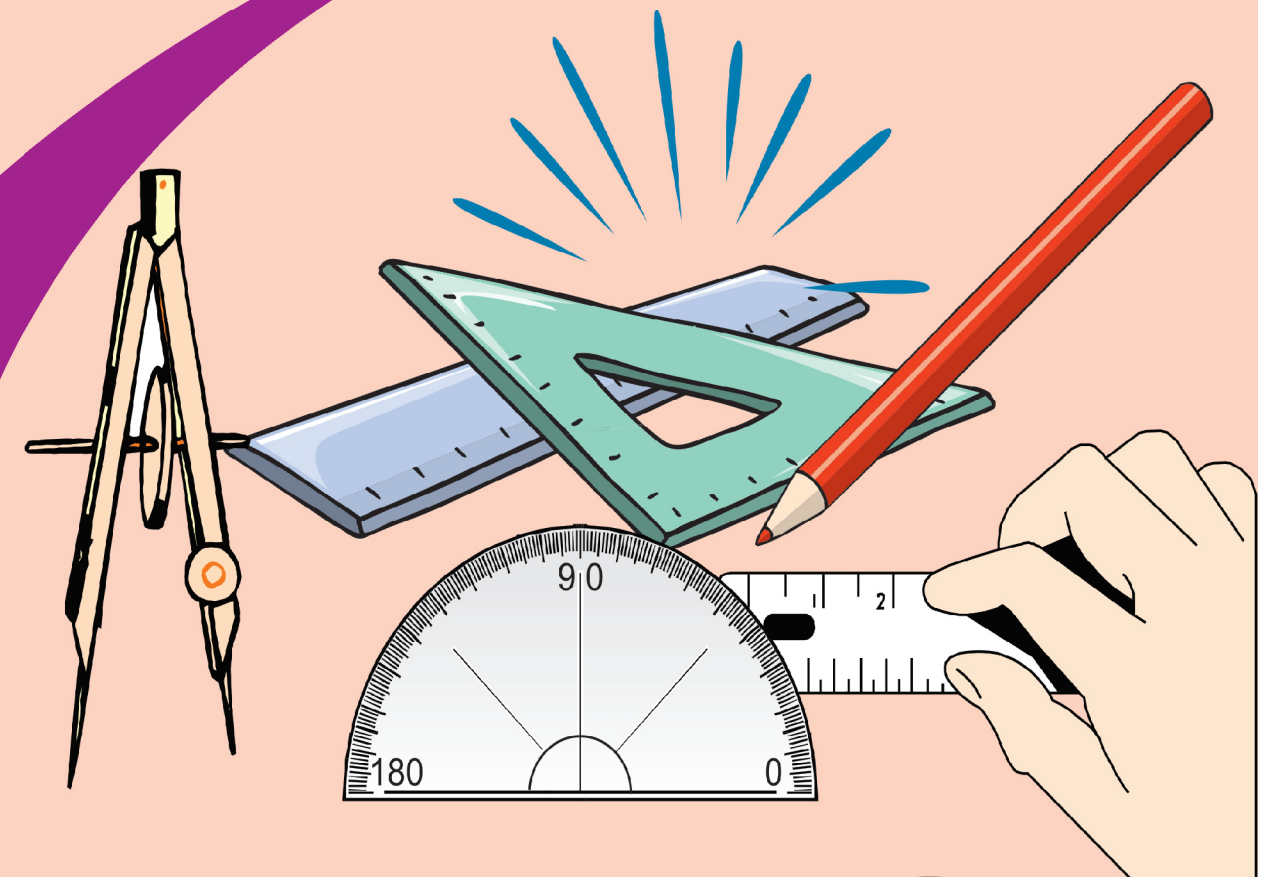
राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर

राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण हेतु

संघनित पाठ्यपुस्तक गणित

कक्षा स्तर : 7

(आयु वर्ग अनुसार प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु)



राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप (N.M.M.S.) योजना

परिचय :- मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत "NATIONAL MEANS - CUM - MERIT SCHOLARSHIP SCHEME " (NMMS) योजना शीर्षक से वर्ष 2008 से प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को राजस्थान राज्य स्तर पर चार वर्ष तक (कक्षा 9 से 12) छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति प्रति वर्ष 6000 रु. की दर से निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर कक्षा 9 से 12 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययन करने पर दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के राजकीय विद्यालयों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कक्षा 12 तक अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित करना है।

आयोजन :- यह परीक्षा एक स्तरीय होती है। यह नवम्बर माह के द्वितीय/ तृतीय रविवार को आयोजित की जाती है।

परीक्षायोजना: इस परीक्षा हेतु दो प्रश्न पत्र होते हैं जिनका पाठ्यक्रम कक्षा 7 एवं 8 स्तर का होता है -

क्र.सं.	प्रश्न पत्र	समय	अंक	प्रश्न
1.	मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT) मानसिक योग्यता, हिन्दी, अंग्रेजी	90 मिनट	90	90
2.	शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT) विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित	90 मिनट	90	90

परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्हताएँ :

- केवल राजकीय विद्यालय के वे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 7 में हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत/तृतीय भाषा विषयों में समग्र रूप से सामान्य वर्ग हेतु 55 प्रतिशत प्राप्त किये हों तथा आरक्षित वर्ग हेतु यह सीमा 50 प्रतिशत होती है।
- राजकीय विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत होना चाहिए।
- अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1,50,000 रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अर्हताएँ :-

- कक्षा 9 से 12 तक राजकीय विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए।
- छात्रवृत्ति शुरू करने हेतु आवश्यक है कि विद्यार्थी ने कक्षा 8 न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण कर कक्षा 9 में राजकीय विद्यालय में प्रवेश लिया हो।
- सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9 एवं 11 में 55 प्रतिशत तथा कक्षा 10 में 60 प्रतिशत प्राप्तांक होने चाहिए। SC/ST के विद्यार्थियों के लिए इनमें 5 प्रतिशत की छूट है।
- छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/एसबीबीजे में खाता खुलवाना होगा।
- छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आधार कार्ड बनवाना होगा।
- संस्था प्रधान अपने विद्यालय के छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूची बैंक खाता नंबर मय आधार कार्ड के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (प्रथम) को प्रस्तुत करेंगे व जिला शिक्षा अधिकारी अपने डिजिटल हस्ताक्षर से पोर्टल पर डालेंगे।

फार्म भरने हेतु -

- जुलाई माह में परीक्षा हेतु विज्ञप्ति निकाली जाती है तथा 15 सितम्बर तक फार्म भरकर जिलों के अनुमोदित परीक्षा केन्द्रों पर जमा कराने होते हैं। इस हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से सम्पर्क किया जा सकता है।

विद्यार्थियों के लिए लाभकारी योजनाएँ

01. छात्रवृत्तियाँ

क्र. सं.	छात्रवृत्तियाँ	पात्रता हेतु आयकर सीमा वार्षिक	कक्षा	मासिक दर(रु.)	
				छात्र	छात्रा
1.	अनुसूचित जाति	आयकर दाता न हो	6 से 8	75	125
2.	अनुसूचित जनजाति			75	125
3.	विमुक्त एवं घुमन्तु जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति (सीमान्त एरिया)			15	20
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग			40	40
5.	विशेष पिछड़ा वर्ग	44,500 /— 2.00 लाख	1 से 8	50	100
6.	सफाई के कार्य से जुड़े एवं जोखिम पूर्ण व्यवसाय में लगे परिवार के विद्यार्थियों हेतु	—		110 750 एकमुश्त अनुदान	110 750 एकमुश्त अनुदान
7.	अल्प-संख्यक वर्ग	1.00 लाख		प्रवेश शुल्क—कक्षा 6 से 8—500 रु. वार्षिक या वास्तविक शुल्क या जो कम हो। शिक्षण शुल्क—कक्षा 6 से 8 350 रु. प्रतिमाह या वास्तविक शुल्क या जो कम हों। रखरखाव भत्ता— कक्षा 1 से 8 100 रु प्रतिमाह	

आवेदन प्रक्रिया — सत्र आरम्भ में निर्धारित तिथि तक वांछित दस्तावेजों सहित विद्यार्थी संबंधित विद्यालय में आवेदन—पत्र प्रस्तुत करेगा।
संलग्नक दस्तावेज— 01. जाति प्रमाण पत्र, 02. आय प्रमाण—पत्र (स्वघोषणा पत्र), 03. बैंक खाता सं. की फोटो प्रति, 04. गत वर्ष की अंक तालिका, 05. स्वयं की 02 फोटो विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://www.sje.rajasthan.gov.in/>

02. सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

01. योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु	इस योजना अन्तर्गत राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थी बीमित हैं — 01.योजना हेतु विद्यार्थी से तात्पर्य राजस्थान स्थित किसी भी राजकीय विद्यालय की नामांकन पंजिका में दर्ज विद्यार्थी से है। 02.विद्यार्थी की मृत्यु अथवा योजना में उल्लेखित क्षतियों की स्थिति में पॉलिसी के प्रभावी रहने तक भारत में किसी भी स्थान और समय पर दुर्घटना घटित होने पर योजना का लाभ देय होगा 03.मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति दोनों ही परिस्थितियों में दावा राशि विद्यार्थी के माता/पिता/संरक्षक को ही देय होगी।
02. स्वत्व प्रक्रिया	01.दुर्घटना की स्थिति में दावा प्रपत्र छात्र/अभिभावक/संरक्षक से द्वारा दुर्घटना तिथि से छः माह के अन्दर विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य से हस्ताक्षरित एवं संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित होकर राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग के जिला कार्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है।
03. देय लाभ	01.दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1.00 लाख एवं अन्य अंग क्षतिग्रस्त होने पर पॉलिसी के प्रावधानुसार।
04.विस्तृत जानकारी	01.वेबसाइट sipf.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।